

फर्द अहकाम

रामजीलाल बनाम श्री लारापण

नाम न्यायालय **Bem-18**

केस संख्या **5100/5167 1624/08**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>आज दिनांक <u>11/2/19</u> को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>11/2/19</u> को पेश हो।</p>
		<p>आज दिनांक <u>11/3/19</u> को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>11/3/19</u> को पेश हो।</p>
	11/3/19	<p>पत्रावली पेश हुई। पड़ोसियों की ओर से अज्ञात/प्रतिकार 6 सी और 6 प्रायेण पत्र पेश किया गया कि भूखण्ड उपखण्ड अधिकारी सांगानेर इतिहास के मध्य खण्ड किया जा चुका है। अतः भूल दावा खारिज होने से ही आठ ब प्रायः दावा खारिज किया जाये, पत्रावली द्वारा प्रस्तुत प्रायेण पत्र प्रस्तुत सत्य प्रतिकार अ अवलोकन किया गया। अवलोकन से बाहर हुआ कि भूल दावा भोगनीय राजस मण्डल आजमेर से रिमांडर लोक SDM-II के दिनांक 28/3/06 को</p>

सहायक न्यायाधीश एम. न्यायपालक
मजिस्ट्रेट, जयपुर, रजि. द्वितीय

फर्द अहकाम


रामजीलाल

बनाम श्री नारायण

न्यायालय ~~दम-1~~

ख्या ~~दम-1~~ 624/08

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>SPM-II द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली के विस्तारण हेतु SPM-II को पत्रावली भेजी गई थी। SPM-II द्वारा पत्रावली दिनांक 23/06/2019 को पुनः एक रजिस्टर की जाकर पत्रावली जेरमाल-कार्यवाही की गई। SPM-II द्वारा दिनांक 13/12/19 को पत्रावली अग्र हाजरी अदम पेंची में खारिज कि गई है। इस के सम में दास्त डावा श्री खारिफ विपा जाता है। पत्रावली जेसल कुमार होकर डाकिले डफतर ही निर्णय आप दिनांक 11/03/2019 को लिखाया जाकर पुनापा गया।</p>	


 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
 मजिस्ट्रेट, जयपुर
 अवर द्वितीय